

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
पो.बै. सं. 11 500, मुंबई : 400 020.
फैक्स सं.022-2002495
E-mail: texcomindia@txcindia.com
Website : www.txcindia.com

सं. 28(19)/2003-एम.एस/

दिनांक : 23 जनवरी, 2004

परिपत्र सं. 7
(2003-2004 श्रृंखला)
विषय : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो.)

पावरलूम क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो.) के अंतर्गत 20% की दर से क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी (सीएलसीएस @20% - टीयूएफएस) - संचालित मार्गदर्शक तत्व ।

1. सरकार ने पावरलूम इकाइयों को प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के बदले में 20% कैपिटल सब्सिडी देने का विकल्प रखा है । सीएलसीएस @20% - टीयूएफएस के संचालित मार्गदर्शक तत्व निम्नानुसार है :-

योजना की अवधि

2. सीएलसीएस @ 20% -टीयूएफएस दिनांक 6 नवंबर, 2003 से 31 मार्च, 2007 तक कार्यरत रहेगी । योजना की अवधि के अंतिम तिथि तक ऋणद अभिकरणों द्वारा मंजूर किए गए ऋण 20% कैपिटल सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे ।

पात्र इकाइयाँ

3. योजना केवल लघु उद्योग क्षेत्र के पावरलूम, यथा, लघु उद्योग सीमा तक प्लान्ट एवं संयंत्र में निवेश किए गए इकाइयों के लिए लागू है । तथापि योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु पहले से एसएसआई पंजिकरण होना आवश्यक नहीं होगा ।

सब्सिडी की प्रमात्रा

4. प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत विनिर्दिष्ट मशीनरी में किए गए निवेश पर 20% कैपिटल सब्सिडी उपलब्ध होगी बशर्ते कि सब्सिडी राशि की अधिकतम सीमा रु.12 लाख हो ।
5. 20% सब्सिडी प्राप्त करनेवाली पावरलूम इकाइयाँ एनईएफ योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगी ।

पात्र मशीनरी एवं मूल्य निर्धारण

6. योजना के अंतर्गत देशी विनिर्मित अर्ध-स्वचालित करघे, स्वचालित करघे, विनिर्दिष्ट करघों के उपकरणों सहित अथवा उसके बिना शटललेस करघे तथा विनिर्दिष्ट बुनाई प्रारंभिक मशीने शामिल है ।
7. प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के मानकों नुसार नये आयातित तथा पुराने आयातित शटललेस करघे भी योजना के अंतर्गत पात्र होंगे ।
8. सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक तत्वों (संलग्नक-1) के अनुसार वस्त्र आयुक्त द्वारा बेंचमार्क मशीनरी एवं बेंचमार्क मूल्य के साथ स्थापित विनिर्माताओं की प्रथम सूची संलग्नक - II पर है । सूची में सम्मिलित ऐसे देशी मशीनों के मूल्य या वास्तविक इनवॉइस मूल्य, इनमें से जो कम हो, पर 20% कैपिटल सब्सिडी उपलब्ध होगी ।
9. विभिन्न मॉडल तथा पुराने आयातित करघों के लिए सब्सिडी की सीमा वस्त्र आयुक्त द्वारा अलग से जारी की जाएगी ।

मशीनों के मूल्य का पुनरीक्षण

10. प्रारंभिक मूल्य एक वर्ष के लिए स्थिर रखा जाएगा, तत्पश्चात उसे मूल्य सुधार सूत्र के आधारपर संशोधित किया जाएगा जिसका मूल्य के तत्वों के मुख्य अंगों के आधारपर हल निकाला जाएगा । मूल्य सुधार सूत्र का वस्त्र आयुक्त द्वारा अलग से हल निकाला जाएगा तथा घोषणा की जाएगी ।

ऋणदाता अभिकरण

11. श्रेणी क एवं ख के रूप में आरबीआई के साथ एनबीएफसी का पंजीकरण किया गया । सहकारी बैंक/एसएफसी/एसआईडीसी तथा सीडबी समेत सभी बैंक योजना के अंतर्गत ऋण देने के लिए पात्र है ।

वित्तीय मानक

12. वित्तीय मानक जैसे ऋण की अवधि, ऋणस्थगन अवधि सुरक्षा ऋण इक्विटी अनुपात, गत वर्ष के लाभ की स्थिति, नेटवर्थ आदि ऋणदाता अभिकरणों के विद्यमान मानकों के अनुसार होंगे । तथापि वे टफ मानकों से सख्त नहीं होने चाहिए ।
13. सावधिक ऋण के अतिरिक्त पात्र पावरलूम इकाइयां ऋणदाता अभिकरणों के इजारा वित्तप्रबन्ध एवं भाटक-क्रय योजनाओं के अंतर्गत भी वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं ।

मशीनरी विनिर्माताओं को सब्सिडी जारी करना

14. सावधिक ऋण के लिए पावरलूम इकाई उनके परियोजना प्रस्ताव के साथ ऋणदाता अभिकरण से संपर्क करेगी । ऋणद अभिकरण वस्त्र आयुक्त कार्यालय को ऋण की स्वीकृति की सलाह विहित प्रपत्र में **(संलग्नक-III)** में देगा ।
15. पावरलूम उद्यमी उनका 15% प्रारंभिक अंशदान सीधे मशीनरी विनिर्माताओं को देगा । जब मशीने भेजने के लिए तैयार हो जाएगी तब ऋणद अभिकरण द्वारा मशीनरी विनिर्माताओं को ऋण जारी किया जाएगा । यदि ऋण की राशि से 80% मशीन की लागत मूल्य पूर्ण नहीं हो पायी तो पावरलूम बुनकरों को उनको अपने माध्यम से शेष राशि का भुगतान मशीनरी विनिर्माता को करना पड़ेगा ।
16. 80% मशीनरी की मूल्य प्राप्त होने पर मशीनरी विनिर्माता/पावरलूम उद्यमी मशीन स्थापित एवं शुरू करेगा । करघों का कार्य समाधानपूर्वक होने पर मशीनरी विनिर्माता वस्त्र आयुक्त कार्यालय को सूचित करेगा ।
17. आयातित मशीन के संबंध में पावरलूम बुनकर करघे शुरू होने के बाद वस्त्र आयुक्त कार्यालय को सूचित करेंगे ।
18. मशीन के कार्य का निरीक्षण करने एवं प्रमाणित करने के लिए वस्त्र आयुक्त क्षेत्रीय आधारपर निरीक्षण दलों का गठन करेंगे । यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रमाणन समिति मशीनरी विनिर्माताओं द्वारा सूचित करने से 15 दिनों के भीतर प्रमाणपत्र जारी करेगी ।
19. निरीक्षण दल द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात मशीनरी विनिर्माताओं को वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा 20% सब्सिडी जारी की जाएगी । प्रमाणन समिति द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने के 15 दिनों के भीतर वस्त्र आयुक्त कार्यालय 20% सब्सिडी जारी करना सुनिश्चित करेगा ।
20. प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना संगत आयातित करघों एवं मशीनरी के संबंध में पावरलूम बुनकरों को खरीद करने के लिए बैंक में एलसी खोलना आवश्यक होगा । ऐसे मामले में आयातित करघों एवं मशीनरी की स्थापना एवं शुरू होने की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 20% सब्सिडी सीधे पावरलूम बुनकरों के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी ।
21. यदि पावरलूम उद्यमी ने 20% कैपिटल सब्सिडी देने के लिए ऋणद अभिकरण से वित्तीय सहायता ली हो, तो वस्त्र आयुक्त द्वारा 20% सब्सिडी सीधे ऋणद अभिकरण को जारी की जाएगी ।
22. यदि मशीनरी चरणबद्ध तरीके से स्थापित/शुरू की जानेवाली हो तो सब्सिडी भी चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएगी ।
23. मशीनरी की स्थापना/कार्य का सांयोगिक समय समय पर निरीक्षण करने हेतु वस्त्र आयुक्त द्वारा मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल का गठन किया जाएगा ।

दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षण

24. योजना के दुरुपयोग से बचाने के लिए प्रत्येक मशीन पर एकमात्र मिल की निक्षेपण संख्या तथा चालू क्रम संख्या (ऑल नॉट < 2 एमएम डेपथ) उत्कीर्ण की जाएगी। प्रत्येक मशीन के लिए नऊ अंकों की पहचान कोड संख्या होगी। नऊ अंकों की पहचान कोड संख्या में निम्नलिखित शामिल होगा :-

- पहचान कोड के पहले तीन अंक (000) प्रत्येक विनिर्माता के लिए एकमात्र मिल संख्या दर्शाएगी, जो वस्त्र आयुक्त द्वारा संलग्नक - II के मद. 3 के अनुसार जारी किए गए हैं। एकमात्र तीन अंकों की मिल संख्या का मशीनरी विनिर्माताओं द्वारा विशिष्ट निक्षेपण घटकों में निक्षेपण किया जाएगा।
- पहचान कोड के अगले दो अंक (00) मशीनरी के प्रकार के सूचक होंगे। विभिन्न प्रकार के मशीनरी के लिए दो अंक वस्त्र आयुक्त द्वारा निश्चित किए गए हैं। दो अंकों का ब्योरा संलग्नक - IV में दिया गया है। प्रत्येक मशीनरी पर तीन अंकों के एकमात्र मिल संख्या के बगल में दो अंक उत्कीर्ण किए जाएंगे (ऑल नॉट < 2 एमएम डेपथ)।
- अगले चार अंक (0000) योजना के अंतर्गत विनिर्माता उत्पादन किए गए मशीनरी की संख्या के सूचक होंगे। प्रत्येक प्रकार की मशीनरी के लिए चालू क्रम में चार अंक संबंधित मशीनरी विनिर्माता द्वारा दिया जाएगा तथा इसे तीन अंकों की एकमात्र मिल संख्या एवं दो अंकों की संख्या के बगल में उत्कीर्ण किया जाएगा, जिसे वस्त्र आयुक्त द्वारा निश्चित किया गया है।

उदाहरण के लिए, मे. ऑनेस्ट ट्रेडींग कं प्रा. लि. ने योजना के अंतर्गत उत्पादन किए गए प्रथम अर्ध-स्वचालित करघे का नऊ अंकोंवाला पहचान कोड '017010001' है। पहले तीन अंक '017' मे. ऑनेस्ट ट्रेडींग कं प्रा. लि. की एकमात्र मिल संख्या दर्शाती है, अगले दो अंक '01' मशीनरी का प्रकार, अर्थात्, अर्ध-स्वचालित करघा, दर्शाते हैं; अगले चार अंक '0001' मे. ऑनेस्ट ट्रेडींग कंपनी द्वारा योजना के अंतर्गत उत्पादन किए गए प्रथम अर्ध-स्वचालित करघे को दर्शाते हैं। इसी तरह के में. लक्ष्मी टेक्सटाईल स्टोर्स द्वारा योजना के अंतर्गत उत्पादित प्रथम रैपियर करघे का नऊ अंकों वाला पहचान कोड '0021040001' होगा। पहले तीन अंक '001' में. लक्ष्मी टेक्सटाईल स्टोर्स की एकमात्र मिल संख्या दर्शाते हैं; अगले दो अंक '04' मशीनरी का प्रकार, अर्थात् रैपियर करघा, दर्शाते हैं, तथा अगले चार अंक '0001' में. लक्ष्मी टेक्सटाईल स्टोर्स द्वारा योजना के अंतर्गत उत्पादन किए गए प्रथम रैपियर करघे को दर्शाते हैं।

25. वस्त्र आयुक्त द्वारा निश्चित किए गए अनुसार चुने गए कास्ट कम्पोनेन्ट्स पर अभिज्ञेय मशीनरी विनिर्माता तीन अंकों का एकमात्र मिल संख्या अंकीत करेंगे। अंकीत करने के लिए मदवार विनिर्दिष्ट कम्पोनेन्ट्स संलग्नक - V पर है। वस्त्र आयुक्त द्वारा निश्चित की गई दो अंकों की मशीनरी संख्या एवं चार अंकों की चालू क्रम संख्या ऐसे कास्ट कम्पोनेन्ट्स पर मशीनपर मिल संख्या के बगल में उत्कीर्ण किए जाएंगे (ऑल नॉट < 2 एमएम डेपथ)।

26. विनिर्दिष्ट मशीनों के लिए जिनका कास्ट कम्पोनेन्ट्स नहीं है, ऐसी संख्या लिखने के बजाय एकमात्र मिल संख्या (ऑल नॉट < 2 एमएम डेपथ) उत्कीर्ण करने की अनुमति वस्त्र आयुक्त द्वारा दी गई है।

27. मशीनरी विनिर्माताओं के विद्यमान स्टॉक के लिए, योजना के प्रारंभ की तिथि को स्टॉक की घोषणा का विवरण मशीनरी विनिर्माताओं द्वारा **श्री एस. चक्रवर्ती, निदेशक, पावरलूम** को दिया जाएगा । ऐसे स्टॉक की मात्रा के आधारपर, ऐसे स्टॉक पर एकमात्र मिल संख्या (ऑफ 2 एमएम डेप्य) उत्कीर्ण करने की अनुमति देते हुए योजना के अंतर्गत ऐसे स्टॉक को शामिल करने संबंधी निर्णय वस्त्र आयुक्त लेंगे ।

योजना की प्रगति की देखरेख

28. योजना की प्रगति की देखरेख टीएएमसी करेगी ।

शिकायत समिति

29. योजना के अंतर्गत मशीनरी खरीदने के पश्चात बुनकरों की शिकायतों पर वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में स्थापित शिकायत समिति, जिसमें प्रत्येक बुनकर संघ तथा एफआईटीईआई का एक प्रतिनिधि शामिल होगा, द्वारा विचार किया जाएगा ।

सीएलसीएस-टीयूएफएस @20% के प्रचालित मार्गदर्शक तत्व सभी संबंधितों के ध्यान में लाए जाए ।

(श्रीमती शशी सिंह)
निदेशक

सीएलसीएस @ 20% टीयूएफएस के अंतर्गत पात्र मशीनरीके मूल्य निर्धारित करने हेतु सरकार द्वारा जारी मागदर्शक तत्व ।

1. मशीनरी की गुणवत्ता बनाये रखना सुनिश्चित करने हेतु देशी विनिर्माताओं को अभिमेय किया जाएगा तथा ऐसे विनिर्माताओं की मशीनों को विनिर्देशन एवं कार्य निष्पादन की शर्तों के अनुसार बेंच मार्क किया जाएगा ।
2. योजना के अंतर्गत पात्र मशीनरी की बिक्री मूल्य वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित की जाएगी । पिछली अवधि की मदवार इनवॉइस मूल्य के आधार पर मशीनरीवार, विशिष्टता वार मूल्य निर्धारित किया जाएगा । जनवरी,2003 से मार्च,2003 को पिछली अवधि माना जाएगा तथा यदि उक्त अवधि में कोई इनवॉइस न हो तो वस्त्र आयुक्त द्वारा अवधि निश्चित की जाएगी । जहां कहीं भी कोई इनवॉइस न हो तो समतूल्य या थोडीसी अलग मशीनरी विनिर्माता के इनवॉइस मूल्य के आधारपर मूल्य निश्चित किया जाएगा ।
3. समान विनिर्माताओं के विभिन्न मॉडलों में युक्तिसंगत मूल्यों की दृष्टि से वस्त्र आयुक्त बेंच मार्क मूल्य इनवॉइस मूल्य से अलग निश्चित कर सकता है ।
4. यदि अभिमेय चिनिर्माताओं द्वारा योजना की अवधि के दौरान नयी पात्र मशीन या पात्र मशीन का सुधारित नमूना बाजार में लाया गया तो ऐसे मॉडल का मूल्य अन्य अभिज्ञेय विनिर्माताओं के समतूल्य मॉडलों के मूल्य के समान निर्धारित किया जाएगा ।
5. यदि अभिमेय विनिर्माताओं द्वारा संपूर्ण नया मॉडल जो देश में कहीं भी उपलब्ध नहीं है, बाजार में लाया गया तो ऐसे मॉडल का मूल्य वस्त्र आयुक्त निश्चित करेंगे ।
6. पुराने आयातित करघों के ओवर इनवॉइसिंग को रोकने के लिए पुराने करघों के मूल्यों के बाजार के अध्ययन के आधारपर सब्सिडी वस्त्र आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी ।
7. मूल्यों सहित बेंचमार्क मशीनरी की सूची, जिसमें विनिर्मातावार, मशीनरीवार, विशिष्टतावार मूल्य का ब्योरा दिया गया है, वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी की जाएगी ।

प्रपत्र

दिनांक

ऋणदाता अभिकरण का नाम एवं पता :

क्र. सं.	कर्जदार का नाम एवं पता					सीएलसीएस @ 20% के अंतर्गत कुल मंजूर राशि	
		विशेषताओं के साथ मशीनरी का नाम	मशीनरी विनिर्माता का नाम एवं पता (देशी मशीनरी के संबंध में)	आयात का राष्ट्र (आयतित मशीन के संबंध में)	मशीनरी का मूल्य	दिनांक	राशि (रु.)
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
2							
	उप-योग						
	उप-योग						
	उप-योग						
	कुल योग						

1. यदि पुराने करघे आयात किये गए हो तो उसे मद सं. (3) में दर्शाया जाए ।
2. मद सं. 6 में बेंच मार्क मूल्य या इनवाइस मूल्य, जो भी कम हो, दर्शाया जाए ।
3. सीएलसीएस @20% के अंतर्गत कुल मंजूर राशि बेंचमार्क मूल्य या इनवाइस मूल्य, जो भी हो कम हो, पर आधारित होनी चाहिए ।

वस्त्र आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया विभिन्न प्रकार के
मशीनरी के लिए दो अंको का कोड

क्र.सं.	मशीनरी का प्रकार	वस्त्र आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट दो अंको का कोड
1.	सेमी-आटोमेटिक लूम	01
2.	आटोमेटिक शटल स्टाप चेंज लूम	02
3.	पिर्न चेंजिंग आटोमेटिक लूम	03
4.	शटल-लेस रॅपियर लूम	04
5.	डॉबी	05
6.	जॅक्वार्ड	06
7.	पिर्न वाईडिंग	07
8.	सेक्शनल वार्पिंग मशीन	08
9.	वार्पिंग मशीन	09
10.	साईडिंग मशीन	10
11.	टू फॉर वन टिव्स्टर	11
12.	प्रिवाइंडर/रिवाइंडर	12

मदवार विनिर्दिष्ट कास्ट कम्पोनेन्टस्

लूमस्	सेक्शनल वार्पिंग
● मशीन फ्रेम - आर	● वार्पिंग ड्रम (आरएच) के लिए ब्रेक फ्लेंग
● मशीन फ्रेम - एल	● वार्पिंग ड्रम (एलएच) के लिए ब्रेक फ्लेंग
● स्ले स्वार्ड - एल	● रिड टेबल बॉडी
● स्ले स्वार्ड - आर	● बिम डोनिंग डॉफिंग सेट
● डॉबी माऊटिंग फ्रेम/टॉप माऊटिंग फ्रेम-एल	● मशीन ट्रावर्सिंग के लिए गियर बॉक्स
● डॉबी माऊटिंग फ्रेम/टॉप माऊटिंग फ्रेम-आर	● वार्पिंग टेबल एवं बीम के लिए गियर बॉक्स
● ब्रिस्ट बिम	● आर्म ट्रॅवर्स
● लूम सेंटर ब्रॅकेट	
● बॉक्स प्लेट - एल	
● बॉक्स प्लेट - आर	
वार्पिंग मशीन	साईडिंग मशीन
क्रिल पार्ट	क्रिल
● फ्रेम होल्डर	● क्रिल ब्रॅकेट
● यार्न टेन्शनर्स	● क्रिल फ्रेम
● कोन फ्रेम	साईडिंग बॉक्स
● हेड स्टॉक	● रबर रोलर हाऊसिंग
● ड्राइव शाफ्ट हाऊसिंग	● मेन फ्रेम
● गिर्ट बार्स	ड्रायर
	● सिलेन्डर बियरिंग हाऊसिंग
	● सिलेन्डर डिश एन्ड
	हेड स्टॉक
	● निप रोलर हाऊसिंग
	● मेन फ्रेम
पिर्न वाईडिंग मशीन	टीएफओटी/प्री-वाईडर
● गियर बॉक्स	● गियर बॉक्स/मोटर हाऊसिंग प्लेट
● फॅब्रिकेटेड महत्वपूर्ण भाग (कम से कम चार जगहों पर)	● प्रत्येक सेक्शन के बाइंडर्स

टिप्पणी :- ढलाई द्वारा निर्मित अवयवों पर इनकी ढलाई के दौरान विशिष्ट विनिर्माता कोड़ संख्या उकेरी जानी चाहिए । अवयवों पर कोड़ संख्या के अलावा रनिंग क्रम संख्या भी उकेरी जाएगी ।